प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया संहिता)

बुक नं0

1. जिला **ओपी एसीबी, विअनुई. जयपुरथाना प्रधान आरक्षी केंद्र, भ्र0नि0ब्यू0 जयपुर** वर्ष **2022.......**
प्र0इ0रि0 सं. ...508/**2022**............................दिनांक.........30/12/2022.................

2. (I) * अधिनियम भ्रष्टाचार निवारण**(संशोधन)अधि. 2018**.......... धाराये...........**7**
(II) * अधिनियम ....धारायें ....
(III) * अधिनियम .... धारायें ....
(IV) * अन्य अधिनियम एवं धारायें ....

3. (अ) रोजनामचा आम रपट संख्या ....608............................ समय ......6:00 P.M.
(ब) * अपराध घटने का वार.....**सोमवार....**दिनांक:–21.11.2022 समय ....**पी.एम से**
(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक **21.11.2022**

4. सूचना की किस्म :– लिखित/मौखिक–**लिखित**

5. घटनास्थल :–
(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी:–
(ब)*पता........ ....
....बीट संख्या.........................जयरामदेही सं.................
(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो
पुलिस थाना ....जिला ....

6. परिवादी / सूचनाकर्ता :–
(अ) नाम श्री **उदय कुमार....................**
(ब) पिता/पति का नाम **श्री जगदीश सिंह..........**
(स) जन्म तिथी/वर्ष वर्ष...
(द) राष्ट्रीयता ....**भारतीय**...
(य) पासपोर्ट संख्या ....जारी होने की तिथि ....
जारी होने की जगह ....
(र) व्यवसाय ....

(ल)पता –निवासी एच.नं0 16, विवेक विहार, जगतपुरा, जयपुर

7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टयों सहित : –

1– श्री बनवारी लाल कानि0 6214, पुलिस थाना जवाहर सर्कल, जिला जयपुर पूर्व, आयुक्तालय जयपुर।

8. परिवादी / सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण :–...
.

9. चुराई हुई / लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें).

10. * चुराई हुई / लिप्त सम्पत्ति का कुल मुल्य ....

11. * पंचनामा / यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो) .....

12. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें) :–

दिनांक 21.11.2022 को श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, विशेष अनुसंधान ईकाई, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर ने मन् उप अधीक्षक पुलिस को अपने कार्यालय में तलब कर अपने समक्ष बैठे व्यक्ति का परिचय उदय कुमार पुत्र श्री जगदीश सिंह निवासी एच.नं0 16, विवेक विहार, जगतपुरा के रूप में करवाकर उक्त व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर अग्रिम कार्यवाही हेतु मन् उप अधीक्षक पुलिस के नाम पृष्ठांकित आदेश कर आवश्यक निर्देश प्रदान किये। श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा ही परिवादी के साथ बैठे व्यक्ति को परिचय श्री जगदीश सिंह पुत्र श्री खमानी सिंह के रूप में करवाया। तत्पश्चात् श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा मन् उप अधीक्षक पुलिस का परिचय परिवादी श्री उदय कुमार को करवाते हुये उनको प्रस्तुत रिपोर्ट पर मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा अग्रिम कार्यवाही करने हेतु सुपुर्द की। तत्पश्चात उप अधीक्षक पुलिस पुलिस परिवादी श्री उदय कुमार तथा श्री जगदीश सिंह को हमराह लेकर अपने कार्यालय कक्ष में आया तथा परिवादी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन किया तो पाया कि परिवादी द्वारा स्वयं हस्तलिखित रिपोर्ट इस आशय की पेश की गई कि "हमारे न्यू एयरपोर्ट रेजीडेंसी नाम से विवेक विहार जगतपुरा में 23 कमरे की होटल है जिसे में ही सम्भालता हूं पिछले 7, 8 महिने से हमारे होटल में एक शख्स राहुल सिहोर हर महिने आकर रूकता है और वो 5, 7 दिन के लिये रूकता है। उनकी पिछली बार दिनांक 11.11.2022 को राहुल सिहोर होटल में आया और सात दिन के लिये चैक ईन किया। उसने हमें बना रखा था कि मेरे लिये टिफिन लेकर एक लडकी आया करेगी तो उनको अलाउड कर देना। दिनांक 15.11.2022 को हमारे स्टाफ में अंकित सेन ड्यूटी पे था तो वो लडकी आयी और उसकी आईडी लेकर हमने उसको लडके का कमरा नं0 बताकर भेज दिया। उसी समय उस लडकी के घरवाले होटल पर आ गये और उन्होंने हंगामा कर पुलिस को बुला लिया पुलिस आयी और उन सब को जवाहर सर्किल थाने ले गई। पुलिस ने हमसे उस लडके और लडकी की फोटो कॉपी मांगी और हमने दिया। दूसरे दिन एक बनवारी लाल कानि0 9928366863 ने मुझे थाने पर बुलाया और कहा की लडकी नाबालिग है तुम को बन्द नहीं होना चाहते तो हो तो 2 लाख रूपये की व्यवस्था करके हमें दे दो। तो मैंने कहा कि हमें जो लडकी ने आईडी दी थी उसके हिसाब से तो लडकी 18 वर्ष से अधिक है। तो फिर बनवारी लाल ने कहा कि ये सब बेकार की बात है। पैसे तो देने पडेंगे वरना अन्दर जाओगे और होटल बन्द हो जायेगा। उस समय मैं आ गया पर अब पिछले दो दिन से बनवारी लाल जिसके मो0 न0 9928366863 व एक अन्य जिनका नाम नहीं पता पर मो. नं. 9785542474 है। मैं उन पुलिस स्टाफ को रिश्वत के दो लाख रूपये नहीं देना चाहता मैं उनको रिश्वत देते हुये रंगे हाथों पकडवाना चाहता हूं। मेरा उन से व्याक्तिगत कोई रंजिश या पैसे का लेन–देन का विवाद नहीं है।" तत्पश्चात मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी से उसके द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के सम्बंध में मजीद दरियाफ्त करने पर परिवादी ने अपने साथ आये व्यक्ति श्री जगदीश सिंह को स्वयं के पिता होना बताया तथा बाद में कहा कि दिनांक 15.11.2022 को श्री बनवारी लाल कानि0 के बुलाने पर मैं पुलिस थाना जवाहर सर्किल पर गया तो श्री बनवारी लाल मुझे थाने के बाहर चाय की थडी पर मिला जहां पर उसके पास एक बडी सी गाडी में एक व्यक्ति बनवारी लाल के पास आया। जिस पर श्री बनवारी लाल ने उस व्यक्ति के सामने ही मेरे से यह पुरा मेटर डिस्कस किया तथा बताया कि मार्कशीट के हिसाब से वह लडकी नाबालिग है। फिर उस प्राईवेट आदमी ने मुझसे कहा कि तू किसी बडे मामले में फस जायेगा। दो लाख रूपये देकर मामला सुलटा दे। फिर यही बात श्री बनवारी लाल ने मुझसे कही तो मैंने उनकों कहा कि मैं दो लाख रूपये नहीं दे सकता। फिर बनवारी लाल ने मुझसे कहा कि तु कितने दे सकता है। तब मैंने कहा कि मेरे पास तो पचास हजार रूपये भी मुश्किल से होगें। तब श्री बनवारी लाल तथा उस प्राईवेट आदमी ने मुझे कहा कि चल तु एक लाख रूपये लेकर आ जा। फिर मैं वहां से आ गया। उसके बाद श्री बनवारी लाल मुझे अपने मोबाईल नम्बर 9928366863 से बार–बार फोन कर उक्त पैसे लाने के लिये कह रहा है तथा एक अन्य व्यक्ति जिसके मोबाईल नम्बर 9785542474 है वह भी मुझे बार –बार पैसे लाने के

लिये फोन कर परेशान कर रहे है। मैं उनकों रिश्वत नहीं देना चाहता मेरा उक्त मामले से कोई लेना देना नहीं है। इस प्रकार परिवादी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अवलोकन तथा परिवादी से हुई मजीद पूछताछ से मामला रिश्वत मांग का पाया जाता है। जिसका ट्रेप कार्यवाही से पूर्व सत्यापन करवाया जाना आवश्यक है। जिस पर कार्यालय से कानि0 श्री मनीष सिंह नं0 486 को तलब कर परिवादी श्री उदय कुमार तथा उसके पिता श्री जगदीश सिंह से परिचय करवाया गया। तत्पश्चात कानि0 श्री मनीष सिंह नं0 486 को परिवादी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के बारे में अवगत कराकर सत्यापन की कार्यवाही हेतु हिदायत मुनासिब कर कार्यालय से डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर मंगवाया गया। तत्पश्चात परिवादी श्री उदय कुमार को उक्त डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर के संचालन के सम्बंध में अवगत कराया जाकर डिजीटल वायस रिकॉर्डर का खाली होना सुनिश्चित किया गया। तत्पश्चात श्री मनीष सिंह नं0 486 को परिवादी के भेजगर गोपनीय सत्यापन करवाया गया।

दिनांक 21.11.2022 को प्रकरण में गोपनीय सत्यापन के दौरान परिवादी तथा संदिग्ध कर्मचारी श्री बनवारी लाल कानि0 के मध्य रिश्वत मांग के सन्दर्भ में हुई वार्ता डिजीटल वॉयस रिकॉर्ड में रिकॉर्ड है। जिस पर डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर को कार्यालय के लेपटॉप से जोडकर उसमें रिकॉर्ड वार्ताओं को चलाकर सुनने पर पाया कि उक्त वार्ता में संदिग्ध कर्मचारी श्री बनवारी लाल कानि0 द्वारा परिवादी का नाम प्रकरण से नहीं जोड़ने तथा उसकी होटल तथा होटल मालिक के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं करवाने की एवज में 30,000/– रूपये की मांग करने की पुष्टि हुई। तत्पश्चात् परिवादी को संदिग्ध कर्मचारी को दी जाने वाली रिश्वत राशि की व्यवस्था कर लाने की हिदायत की गई।

दिनांक 22.11.2022 को परिवादी से जरिये दूरभाष सम्पर्क कर अग्रिम कार्यवाही हेतु कार्यालय में उपस्थित आने की हिदायत की गई। परिवादी की रिपोर्ट पर अग्रिम कार्यवाही हेतु दो स्वतंत्र गवाहान श्री मानवीर सिंह पुत्र स्व0 श्री बाबूलाल उम्र 56 साल निवासी 205, विवेक विहार, जगतपुरा, जयपुर हाल सहायक प्रबंधक, कार्यालय राजफेड (राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ लिमिटेड) 4, भवानी सिंह रोड जयपुर एवं दूसरे व्यक्ति ने अपना नाम श्री कर्मवीर चौधरी पुत्र श्री रोहिताश चौधरी उम्र 48 साल निवासी 06/127, एसएफएस अग्रवाल फार्म मानसरोवर, जयपुर हाल कार्यालय सहायक, कार्यालय राजफेड जयपुर को तलब कर परिवादी के इंतजार में कार्यालय में बिठाया गया। परिवादी के कार्यालय में दिनांक 22.11.2022 के उपस्थित नहीं आने पर दोनों गवाहान को रूखसत किया गया।

दिनांक 23.11.2022 को परिवादी द्वारा अपनी रिपोर्ट पर अग्रिम कार्यवाही हेतु जरिये दूरभाष सम्पर्क नहीं करने पर उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार मन् उप अधीक्षक पुलिस परिवादी के पास उसकी होटल पर जाकर परिवादी से सम्पर्क कर रिपोर्ट पर अग्रिम कार्यवाही के सम्बंध में पूछा तो परिवादी तथा उसके पिता श्री जगदीश सिंह ने अपने द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर अग्रिम कार्यवाही कराने से इनकार कर करते हुये बताया कि हम आपको इस सम्बंध में लिखित में रिपोर्ट दे देंगे। तत्पश्चात दिनांक 25.11.2022 को परिवादी श्री उदय कुमार अपने पिता श्री जगदीश सिंह के साथ कार्यालय में उपस्थित आया तथा पूर्व में स्वयं द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर कोई अग्रिम कार्यवाही नहीं चाहने बाबत अवगत कराकर इस सम्बंध में स्वयं द्वारा हस्तलिखित प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया।

तत्पश्चात् पूर्व से पाबंदशुदा दोनों स्वतंत्र गवाहान को जरिये दूरभाष सूचित किया गया तो गवाह श्री कर्मवीर ने अवगत कराया कि मेरी जगह दूसरे कर्मचारी को पाबंद किया गया है, मैं आज आवश्यक कार्य होने से कार्यालय से बाहर आ गया हूं। जिस पर गवाह के कार्यालय में पदस्थापित उच्चाधिकारियों से सम्पर्क करने पर ज्ञात हुआ कि श्री कर्मवीर की जगह श्री हिम्मत सिंह को पाबंद किया गया है जिस पर कार्यालय से हिम्मत सिंह के मोबाईल नम्बर लेकर गवाह को शीघ्र ही ब्यूरो मुख्यालय उपस्थित होने की कहने पर गवाह श्री हिम्मत सिंह तथा मानवीर सिंह उपस्थित आये। जिस पर दोनों स्वतंत्र गवाहान को पुनः अपना परिचय देकर परिवादी एवं उसके पिता श्री जगदीश सिंह से परिचय करवाया गया। तत्पश्चात दोनों स्वतंत्र गवाहान को परिवादी द्वारा दिनांक 21.11.2022 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पढकर सुनाया जाकर हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात दिनांक 21.11.2022 को रिश्वत मांग सत्यापन के दौराने परिवादी तथा संदिग्ध अधिकारी के मध्य हुई वार्ता, जो डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड है, उस डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर को कार्यालय की आलमारी से निकलवाकर लेपटॉप की सहायता से उसमें रिकॉर्ड वार्ता को दोनों गवाहान एवं परिवादी को सुनाया गया। दोनों गवाहान को कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाहान के तौर पर उपस्थित रहने की सहमति चाही

जाने पर दोनों गवाहान द्वारा स्वेच्छापूर्वक स्वतंत्र गवाह हेतु सहमति प्रदान की गई। तत्पश्चात दोनों गवाहान के समक्ष परिवादी श्री उदय कुमार द्वारा श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के नाम पर स्वयं द्वारा पूर्व में दी गई रिपोर्ट पर आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहने के सम्बंध में लिखित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जिसका अवलोकन किया जाकर श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाकर अब तक के हालात अर्ज किये गये। परिवादी द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र को पढकर दोनों स्वतंत्र गवाहान को सुनाया जाकर हस्ताक्षर करवाये गये। रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान रिकॉर्ड वार्ता डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में सेव होकर उसमें लगे मेमोरी कोर्ड में सेव नहीं हुई है। अतः दोनों स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादीगण के समक्ष लेपटॉप से डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर हटाकर उसमें रिकॉर्ड उक्त वॉयस क्लिप को उसमें लगे मेमोरी कार्ड में मूव/सेव किया गया। तत्पश्चात दोनो गवाहान एवं परिवादी उदय कुमार एवं उसके पिता श्री जगदीश सिंह के समक्ष दिनांक 21.11.2022 को रिश्वती मांग सत्यापन के वक्त परिवादी व संदिग्ध कर्मचारी के मध्य हुई वार्ता, जो डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड है, को लेपटॉप की सहायता से सुनाया गया। दोनों गवाहान के समक्ष परिवादी की उपस्थिति में परिवादी तथा संदिग्ध के मध्य हुई उपरोक्त वार्ताओं को विभागीय लेपटॉप की सहायता से सुना जाकर शब्द–ब–शब्द फर्द वार्ता रूपान्तरण तैयार की गई। दोनों स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी के समक्ष डिजीटल वाईस रिकॉर्डर में दर्ज दिनांक 21.11.2022 को परिवादी तथा संदिग्ध कर्मचारी श्री बनवारी लाल कानि. 6214 के मध्य हुई वार्ता का कम्प्यूटर की सहायता से नियमानुसार चार सीडियां तैयार की गई। डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में लगे मेमोरी कार्ड जिसमें उक्त वार्ताऐं डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर से रिकॉर्ड की जाकर सेव की गई है को नियमानुसार जब्त कर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाये जाकर मार्का अंकित कर कब्जा एसीबी लिया गया। शील्डशुदा सम्बंधित आर्टिकल्स जमा मालखाना करवाया गया।

प्रकरण में परिवादी द्वारा पूर्व में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर अग्रिम कार्यवाही नहीं करवाने बाबत लिखित रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने से प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही किया जाना सम्भव नहीं है। अब तक की कार्यवाही से संदिग्ध कर्मचारी श्री बनवारी लाल कानि0 6214 पुलिस थाना जवाहर सर्कल, जयपुर पूर्व, आयुक्तालय जयपुर द्वारा परिवादी का नाम प्रकरण में नहीं जोडने तथा उसकी होटल तथा होटल संचालक के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं करवाने की एवज में 30,000/– रूपये की मांग किया जाना प्रथम दृष्टया प्रमाणित होता है। संदिग्ध कर्मचारी श्री बनवारी लाल कानि0 6214 का उक्त कृत्य अपराध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (संशोधित) 2018 की श्रेणी में आता है। तत्पश्चात् उक्त आरोपी श्री बनवारी लाल कानि0 6214 पुलिस थाना जवाहर सर्कल, जयपुर पूर्व, आयुक्तालय जयपुर का सेवा विवरण प्राप्त कर शामिल पत्रावली किया गया।

इस प्रकार अब तक की कार्यवाही से आरोपी श्री बनवारी लाल कानि0 6214 पुलिस थाना जवाहर सर्कल, जयपुर पूर्व, आयुक्तालय जयपुर द्वारा परिवादी का नाम प्रकरण में नहीं जोडने तथा उसकी होटल तथा होटल संचालक के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं करवाने की एवज में 30,000/– रूपये की मांग किया जाना पाया जाने से आरोपी का उपरोक्त कृत्य प्राथमिक तौर पर अपराध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (संशोधित) 2018 का पृथम दृष्टया प्रमाणित होना पाया गया। अतः बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन हेतु मुख्यालय प्रेषित है।

(सचिन)
उप अधीक्षक पुलिस
विशेष अनुसंधान ईकाई
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री सचिन, उप अधीक्षक पुलिस, विशेष अनुसंधान इकाई, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री बनवारी लाल कानि0 6214, पुलिस थाना जवाहर सर्किल, जयपुर पूर्व, आयुक्तालय जयपुर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 508/2022 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

30.12.22

(योगेश दाधीच)
पुलिस अधीक्षक प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

क्रमांकः- 4257-60 दिनांक 30.12.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जयपुर क्रम संख्या-1, जयपुर।
2. पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय) आयुक्तालय जयपुर।
3. उप महानिरीक्षक पुलिस-द्वितीय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एस.आई.यू., जयपुर।

30.12.22

पुलिस अधीक्षक प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।